न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 01/2020

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2010/00149

वादीगण

1 उमाराम पुत्र चेलाजी कौम–भांभी साकिन–सांचौर

2 श्रीमती मेतीदेवी धर्मपत्नी उमाराम, जाति–मेघवाल, साकिन–अगार, हाल–सांचौर

3 गोवा वल्द परबा, कौम–मेघवाल, साकिन–अगार सांचौर, जिला–सांचौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1 गजा वल्द परबा कौम–भांभी

2 मसरा वल्द गजा, कौम–भांभी

3 बाबु वल्द गजा, कौम–भांभी

4 हंसा वल्द गजा, कौम–भांभी

5 नरसी वल्द गजा, कौम–भांभी

6 हंजारी वल्द गजा, कौम–भांभी

7 श्रीमति मफी पुत्री गजा, कौम–भांभी

स्व. रामा वल्द परबा के कायम मुकाम

8 सुखा वल्द रामाजी

9 मफा वल्द रामाजी

10 सगा वल्द रामाजी

11 श्रीमति लीला बेवा रामाजी

जातियान–मेघवाल, साकिनान–अगार, तहसील व जिला सांचौर

मृतक पीरा वल्द मोटा के कायम मुकाम

12 मसरा वल्द पीरा

13 भारता वल्द पीरा

14 मांगा वल्द पीरा, जातियान–मेघवाल, साकिनान–अगार, तहसील व जिला–सांचौर

15 सरकार जरिये तहसीलदार

सांचौर, जिला–सांचौर(राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.06 17:34:41 IST
Reason: SelfAttested

<u>दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

तारीख रुजू [illegible].07.2010

उपस्थिति :–

1. वादीगण की और से विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद बालोत उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 1, 5, 8, 10 की और से विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुलाल पालड़िया उपस्थित।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट्रेक) सांचौर

3. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4, 6, 9, 11, 15 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

4. प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 14 की और से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित, इकबाली जवाब दावा पेश।

:– निर्णय :– दिनांक :– 02.12.2024

वादीगण की ओर से वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया गया। बाद टिप्पणी वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण द्वारा उक्त वाद में मुख्य शिर्षक से धारा 88 आर.टी.एक्ट. हटाने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर धारा 88 आर.टी.एक्ट हटाया गया। तथा वाद धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट के तहत दोनों पक्षों को सुना गया। वादीगण के वाद के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि मौजा अगार के खेत खसरा संख्या 126 रकबा 01 बिस्वा, खेत खसरा संख्या 134 रकबा 48 बीघा 17 बिस्वा जुमले रकबा 48 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 98 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 102 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 118 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 125 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुल रकबा 21 बीघा 4 बिस्वा व कुल आराजी 70 बीघा 2 बिस्वा के रेकोर्डेड खातेदार रामा, गजा, गोवा पिसरान परबा थे उक्त आराजी में रामा का 1/3 हिंस्सा, गजा का 1/3 हिस्सा गोवा का 1/3 हिस्सा पूराने खसरा संख्या 126, 134 के नवीन खसरा संख्या 234 रकबा 7.68 हैक्टेयर खसरा संख्या 234/597 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 235 रकबा 0.16 हैक्टेयर मूर्तिब हुए।

मौजा अगार का पुराना खेत खसरा संख्या 134 रकबा 48 बिघा 17 बिस्वा भूमि में से मुझ वादी संख्या 1 उमा ने सरकारी 8 बिघा भूमि दिनांक 05.07.1994 को बेचान दस्तावेज के जरिये खरीदकर कब्जा प्राप्त किया जो वर्तमान खसरा संख्या 234 रकबा 7.68 हैक्टेयर भूमि में से 8 बीघा यानि रकबा 1.28 हैक्टेयर भूमि खरीद की प्रतिवादी संख्या 8 व 10 से वादी उमाराम ने बेचान दस्तावेज के खसरा संख्या 234 रकबा 7.74 हैक्टेयर में से व खसरा संख्या 235 रकबा 0.16 हैक्टेयर व खसरा संख्या 234/597 रकबा 0.01 हैक्टेयर, जुमले रकबा 7.91 हैक्टेयर में से रकबा 0.32 हैक्टेयर भूमि दिनांक [illegible] को खरीदी तथा वादी संख्या 1 उमा की धर्मपत्नी वादी संख्या 2 [illegible] हैक्टेयर में से रकबा 0.06 हैक्टेयर रास्ता के लिए [illegible] माना पिसरान पीरा प्रतिवादी संख्या संख्या 12 से 14 में तथा प्रतिवादी संख्या 1 गजा [illegible] परबा, सुखा, मफा पिसरान रामा व लीला बैवा रामा व वादी गोवा वल्द परबा व वादी उमा वल्द चेला ने मिलकर वादीया संख्या 2 मेती देवी को रकबा 0.06 हैक्टेयर भूमि का बेचान किया इस प्रकार प्रतिवादीगण 12 से 14 ने वादीया मेती देवी को खसरा संख्या 234 रकबा 7.74 हैक्टेयर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.06 17:54:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

खसरा संख्या 234/597 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 235 रकबा 0.16 हैक्टेयर जुमले रकबा 7.91 हैक्टेयर में से 1/6 हिस्सा में से रकबा 0.32 हैक्टेयर यानि सरकारी 2 बीघा भूमि का बेचान 11.01.2008 को किया चारों बेचान दस्तावेज अनुसार कुल रकबा 1.92 हैक्टेयर तथा रास्ता की भूमि रकबा 0.06 हैक्टेयर मिलाकर 1.98 हैक्टेयर हम वादीगण 1 लगायत 2 ने खरीद की हुई है व मौके पर काश्त एवं कब्जा है, खसरा संख्या 234/597 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 235 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा संख्या 234 रकबा 7.68 हैक्टेयर, जुमले रकबा 7.85 हैक्टेयर भूमि में हम वादीगण 1 लगायत 2 का रकबा 1.92 हैक्टेयर में काश्त कब्जा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 गौवा पुत्र परबा का उक्त आराजी के खसरा संख्या 234/597, 235, 234 कुल रकबा 7.85 हैक्टेयर में 1/3 हिस्सा, खसरा संख्या 203, 203/595, 212, 213, 152, 156 कुल रकबा 2.76 हैक्टेयर भूमि में भी वादी संख्या 3 गोवा का 1/3 हिस्सा, खसरा संख्या 234, 234/597, 235 जुमले रकबा 7.91 हैक्टेयर भूमि में मसरा, भारता, मांगा पिसरान पीरा का जो भी हिस्सा था उस में से रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि खरीदी हुई है जो मौके पर बपोती एवं खरीद की गई भूमि रकबा 0.16 हैक्टेयर पर काश्त कब्जा वादी संख्या 3 का है तथा वादी संख्या 1 लगायत 2 का उपरोक्त आराजी में कुल खरीद की गई भूमि रकबा 1.98 हैक्टेयर पर काश्त एवं कब्जा है जो वादीगण बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार बंटवाड़ा करवाना चाहते है।

प्रतिवादीगण को आपसी सहमति में बंटवाड़ा का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने कहा की हमे राज का नोटिस आएगा तो हम ब्यान कर देंगे अन्यथा हम तुम्हारे भूमि का सेढ़ा तोड़कर बिना बंटवाड़ा किये भूमि बेचान कर देंगे इस प्रकार आये दिन हम पक्षकारान् के मध्य माठों का विवाद होने से वाद पेश करने की नौबत पैदा हुई है। अन्त में वादीगण ने वर्तमान खेत खसरा संख्या 234 रकबा 7.68 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 1.28 हैक्टेयर व अन्य खसरा नंबरान 234/597, 235 आदि में से समय–समय पर वादी संख्या 1 व 2 ने खरीद की गई भूमि जुमले रकबा 1.98 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती होने से तथा वादी संख्या 3 का उपरोक्त भूमि में शुरू से ही 1/3 हिस्सा व रकबा 0.16 हैक्टेयर खरीदी हुई भूमि का बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा की डिक्री सादिर फरमावें।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 ने उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त वादग्रस्त [illegible] संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। जिसका अभी विभाजन नही [illegible] स्व. परबा की मृत्यु के पश्चात बाप–दादाओं की सं[illegible] व रामा के अलावा तीसरा हिस्सा अपने पिता से प्राप्त हुआ था, जिसमें गजा वल्द परबा [illegible] सभी जायंदा पुत्रों व पुत्री प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 का अपने पिता गजा के साथ बर्थ राईट्स निहित है। अर्थात् वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी गजा के अलावा उसके पुत्र/पुत्रीयों व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 प्रत्येक का कुल एक तिहाई हिस्से में 1/7 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 को कर्ता

Signature Not Verified
Digitally Signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.06 17:54:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
[illegible]

खानदान के रूप में तथा शेष प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 गजा के पुत्र पुत्रीयां को पुश्तैनीय संपति से बर्थ राईट्स के रूप में प्राप्त होने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को वादग्रस्त पुश्तैनीय भूमि में से तीसरे हिस्से में 1/7 हिस्सा अर्थात 1 बीघा 5 बिस्वा से अधिक भूमि का हस्तांतरण करने का कोई अधिकार प्रतिवादीगण को नहीं था। प्रतिवादी गजा ने पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की भूमि का विधिवत बंटवाड़ा करवाये बिना तथा सहखातेदारान् की सहमति के बिना तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 गजा के जीवित पुत्र पुत्रियों की अनदेखी कर दिनांक 28.02.1984 को वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 134 की नवीन खसरा संख्या 234 का अवैध व शून्य प्रभावी बैचाननामा रकबा 8 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 12 से 14 के पिता पिरा वल्द मोटा के नाम शेष खातेदारान् की पीठ पिछे कर दिया जिसका गजा को कोई कानुनी अधिकार नहीं था तथा ऐसा बेचान दस्तावेज अवैध व शून्य है। विशेष प्रासंगिक है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पीरा वल्द मोटा के आपसी लेन देन के समव्यवहार के रूप में उक्त विवादित विक्रय पत्र दिनांक 28.02.1984 निष्पादित करवाया था जबकि हकीकत में वादी व पीरा के बीच में किसी प्रकार का कोई वादग्रस्त भूमि का बेचान निष्पादित नहीं हुआ था दिनांक 05.07.1994 को उधार की गई रकम प्रतिवादी संख्या 1 ने पीरा को लौटा दी तब पीरा वल्द मोटा ने प्रतिवादी गजा व वादी गोवा के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 28.02.1984 को निरस्त करते हुए एक इकरारनामा उनके पक्ष में निष्पादित करवा दिया था उक्त लेन देन में वादी उमाराम प्रतिभू था इसलिए प्रतिवादी गजा के साथ धोखा कर वादी उमा ने दिनांक 05.07.1994 को वादग्रस्त भूमि का एक अवैध व शून्य प्रभावी बैचाननामा स्वयं के उक्त लेन देन में लिखाया था जबकि वास्तविकता में कोई बैचान उमा के पक्ष में निष्पादित नहीं हुआ था। दिनांक 05.07.1994 से लेनदेन पेटे तमाम रकम प्राप्त कर प्रतिवादी गजा के पक्ष में प्रतिभू के रूप में लिखी गई बेचान रजिस्ट्री दिनांक 28.02.1984 का निरस्तीकरण डीड का इकरारनामा गजा व गोवा के पक्ष में निष्पादित करने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ पीरा ने धोखा करते हुए पीरा की मृत्यु के बाद पीरा के जायन्दा पुत्र प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 14 ने बिना किसी अधिकार के वादी संख्या 2 के पक्ष में वादग्रस्त भूमि में से रकबा 0.32 हैक्टेयर का अवैध बेचाननामा करवाकर वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 234 रकबा 7.74 हैक्टेयर, खसरा संख्या 234/597 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 235 रकबा 0.16 हैक्टेयर, में से 1/6 हिस्से में से रकबा 0.32 हैक्टेयर भूमि का बैचान प्रतिवादी संख्या 12 से 14 ने दिनांक 11.01.2008 को वादी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित करवा दिया इस प्रकार [illegible] की गई बेचान रजिस्ट्रीयां विधि की दृष्टिकोण से उपरोक्त [illegible] अवैध व शून्य प्रभावी विवादित विक्रय पत्र के आधार पर वाद[illegible] किया गया वादी संख्या 2 व 1 के नाम का इन्द्राज भी अवैध होने से अपास्तनीय है [illegible] वादीगण का वाद खारिज फरमावें।

प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 14 ने उपस्थित होकर इकबाली जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 15 की ओर से जवाब पेश नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.06 17:54:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर [illegible] कार्यपालक मजिस्ट्रेट
([illegible]) सांचौर

होने पर तत्पश्चात दिनांक 04.07.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10, 14 व 15 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 व 14 तथा 15 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही व प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 द्वारा वाद को स्वीकार करने से पत्रावली वादी शहादत में ली गई। वादी की ओर से गवाह पीडब्ल्यू–1 वादी उमाराम, पीडब्ल्यू–2 मूंगाराम के बयान कलमबद्व करवाये गये।

हस्तगत वाद में मुख्य बिन्दू यह तय किया जाना है कि :–

5. आया वाके सरहद मौजा अगार के पुराना खेत खसरा संख्या 126, 134, 98, 102, 118, 125, कुल आराजी 70 बीघा 02 बिस्वा के रेकोर्डेड खातेदार रामा, गजा, गोवा पिसरान परबा कौम–भांभी, साकिनान–अगार थे।
6. आया मौजा अगार के पुराना खसरा संख्या 134 रकबा 48 बीघा 17 बिस्वा से नवसृजित खेत खसरा संख्या 234 रकबा 7.68 हैक्टेयर, खसरा संख्या 234/597 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 235 रकबा 0.16 हैक्टेयर मुर्तिब हुए। जिसमें वादी उमाराम ने सरकारी 8 बीघा यानि रकबा 1.28 हैक्टेयर 05.07.1994 को व इसी प्रकार खसरा संख्या 234,235 व 234/597 में से वादी उमाराम ने रकबा 0.32 हैक्टेयर दिनांक 03.09.2007 को व इसी प्रकार वादीया मेतीदेवी ने रकबा 0.06 हैक्टेयर भूमि व इसी प्रकार वादीया मेतीदेवी ने रकबा 0.32 हैक्टेयर जुमले रकबा 1.98 हैक्टेयर भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया जिसका वादीगण बंटवाड़ा करवाने के हकदार है।

इस संबंध में वादी उमाराम पीडब्ल्यू–1 न्यायालय में उपस्थित होकर सशपथ बयान देकर बताया की वादी व वादीया की पत्नी ने समय समय पर खेत खसरा संख्या 234, 234/597, 235 यानि में से 1.28, 0.32, 0.32, 0.06 जुमले रकबा 1.98 हैक्टेयर भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। जिसका बंटवाड़ा बाय मिट्स बाउण्ड्स के आधार पर करवाना चाहते है। जिसकी जमाबंदी प्रदर्श पी–1 है, नक्शा ट्रैश प्रदर्श–2 है, तथा चारों बैचान दस्तावेज की फोटो प्रतियां पेश की है।

गवाह पीडब्ल्यू–2 मूंगाराम ने बयान दिये कि मैं वादीगण व प्रतिवादीगण को पहचानता हुं। इनके मौजा अगार में सामलाती खातेदारी [illegible] हुए है। जिसमें वादीगण उमाराम व मेतीदेवी का कुल आराजी में 1.98 हैक्टेयर भूमि पर [illegible] कब्जा है परन्तु प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा काश्त से दखलंदाजी करते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.06 17:54:41 IST
Reason: SelfAttested

हमने वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि वादीगण वादग्रस्त आराजी के एक रेकोर्डेड खातेदार है, तथा वादीगण के कब्जे काश्त वाली व उनके राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सानुसार बंट वाली भूमि में वादीगण के कब्जा काश्त में

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

प्रतिवादीगण आये दिन दखलदांजी करने से वादीगण वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी होने से बंटवाड़ा की डिक्री सादिर फरमावें।

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.09.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया गया, कि उक्त खसरा नंबरान पर उभयपक्षकारान् की उपस्थिति से मौके पर जाकर उभयपक्षकारान के लिये रास्ता का प्रावधान रखते हुए अंश व कब्जे को स्थान से रखकर बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर शिघ्र न्यायालय में पेश करें जिस पर तहसीलदार सांचौर क्रमांक/भू.अ./2024/4047 दिनांक 18.10.2024 को प्राथमिक डिक्री पालना इस न्यायालय में पेश की। उक्त प्राथमिक डिक्री पालना पर वादीगण व प्रतिवादीगण अधिवक्तागण को सुना गया। कोई आपति जाहीर नहीं की, जिस पर प्राथमिक डिक्री पालना स्वीकार की जाती है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.09.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी, जिसके संदर्भ में तहसीलदार सांचौर द्वारा क्रमांक/भू.अ./2024/4047 दिनांक 18.10.2024 को प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश किया गया। माफिक प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार प्रत्येक खातेदार का निम्न हिस्सा बनता है।

क्रं सं	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
1	उमाराम पुत्र चेलाराम, हिस्सा 179/211 मेती देवी पत्नी उमराराम हिस्सा 32/211 कौम मेघवाल, साकिन –सांचौर खातेदार	234 में से	2.11 हैक्टेयर
		कूल खसरा :– 01	कुल रकबा :–2.11 हैक्टेयर
2	गजा पुत्र परबा हिस्सा–214/785 गोवा पुत्र परबा हिस्सा :– 131/785 मफा पुत्र रामा हिस्सा :– 11/157 लीला पत्नी रामा हिस्साः– 13/157 सुखा पुत्र रामा, हिस्सा :– 54/785 सगा पुत्र रामा हिस्सा :– 11/157 कौम–मेघवाल, सा. देह खातेदार	234 में से 234/597 पूर्ण 235 पूर्ण	5.57 हैक्टेयर 0.01 हैक्टेयर 0.16
		कुल खसराः–03	कुल रकबाः– 5.74 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.06 17:54:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

3	रास्ता प्रयोजनार्थ	691/234	रकबा – 0.06 हैक्टेयर
		कुल खसरा 01	कुल रकबा :– 0.06 हैक्टेयर

इस प्रकार पक्षकारान् को मौके पर कब्जा अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार भूमि का बंटवाड़ा कर नक्शे में अलग अलग रंग भर कर दर्शाये गये है, जिसके अनुसार वादीगण उमाराम व मेती देवी का हिस्सा प्रस्तावित बंटवाड़े में केसरीया रंग से दर्शाया गया है, तथा प्रतिवादीगण गजा, गोवा, मफा, लीला, सुखा, सगा का प्रस्तावित बंटवाड़ा में हरे रंग से दर्शाया गया है, व इसी प्रकार रास्ता प्रयोजनार्थ राजस्थान सरकार (सिवायचक) प्रस्तावित बंटवाड़ा में खसरा संख्या 691/234 दर्शाया गया है।

अतः तहसीलदार सांचौर को निर्णय की प्रति एवं नक्शा प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार खातेदारान् के हिस्से की आराजी का नक्शा लट्ठा में अमलदरामद कर पृथक–पृथक खाते में दर्ज कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पक्षकारान् खर्चा अपना–अपना वहन करें।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
फास्ट–ट्रैक सांचौर

निर्णय आज दिनांक **02.12.2024** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
फास्ट–ट्रैक सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.06 17:54:41 IST
Reason: SelfAttested